तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गणपतलाल चौधरी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 88 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गणपतलाल चौधरी एडवोकेट बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.04.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 663 रकबा 27.12 बिस्वा गै.मु. मगरा में से 2 बीघा गै.मु. कबिस्तान हेतु भूमि ग्राम पंचायत झाक के नाम से आवंटित की गई, जिसके ख.नं. 663 / 12 रकबा 2 बीघा गै.मु. कब्रिस्तान राजस्व रिकॉर्ड दजै है जो आवंटन जिला कलक्टर जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांक प. 12↕ 83–173,181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, / राज. आवंटन / 10,1283–1296 दिनांक 15,2.2011 को किया गया)उक्त आवंटन पत्रावली की सम्पूर्ण नकल, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	